मुख्यमंत्री स्थायी पम्प कनेक्शन योजना

1- योजना का विवरण

मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर आश्रित है। कृषि विभाग के वर्ष 2012-13 के ऑकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल क्षेत्रफल 307.56 लाख हैक्टेयर में से 154.55 लाख हैक्टेयर (50.25 प्रतिशत) में एक बार तथा उसमें से 77.78 लाख हैक्टेयर (25.3 प्रतिशत) में एक से अधिक बार बोवनी की जाती है। इस प्रकार बोवनी का सकल क्षेत्रफल 232.33 लाख हैक्टेयर (50.54 प्रतिशत) है। इसी प्रकार प्रदेश के कुल सकल कृषि क्षेत्र का 38.61 प्रतिशत सिंचित है जिसका लगभग 67 प्रतिशत कुओं और नलकूपों से सिंचित है। इसी प्रकार सकल कृषि क्षेत्र के 55 प्रतिशत क्षेत्र में खरीफ एवं 45 प्रतिशत क्षेत्र में रबी फसलें ली जाती है।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड़ के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 16 जिले हैं जिसमें लगभग 4,35,355 स्थाई पंप कनेक्शन एवं 1,70,216 अस्थाई पंप कनेक्शन है। वर्ष 2015 के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 45073 स्थाई एवं 1,70,216 अस्थाई पंप कनेक्शन लिए गए हैं।

अस्थाई पंप कनेक्शन कृषकों को महँगा पड़ता है। उदाहरण के लिए 5 अश्व शक्ति, 4 माह के अस्थायी कनेक्शन लेने के लिए वर्तमान टैरिफ नियमों के अनुसार कृषकों को राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड़ को प्रदाय की जाने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त, रू0 13,215/- का भुगतान करना पड़ता है जबकि 5 हार्सपावर के स्थायी कनेक्शन के लिए साल भर में दो किश्तों में कुल रू 6,000/- का भुगतान करना पड़ता है। अतः खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए यह आवशयक है कि इन सभी अस्थायी कनेक्शनों को स्थायी में परिवर्तित किया जाए। स्थायी कनेक्शन में परिवर्तित करने से कृषकों को गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय सुनिश्चित होगा तथा कृषक एक से अधिक फसल ले सकेंगे एवं अच्छी सिस्टम प्लानिंग की वजह से विद्युत वितरण हानि कम होकर ट्रांसफार्मरों के जलने व खराब होने की दर कम होगी एवं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड़ के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

2- पात्र कृषक

इस योजना का सम्पूर्ण क्रियान्वयन इस तरह किया जाएगा कि पूरी योजना पारदर्शी तरीके से संचालित की जा सके। इसके अलावा इस तथ्य का भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ लेने के लिए किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अतः मध्य प्रदेश सरकार के "ईज ऑफ डूईंग बिजनेस" की भावनाओं को अंगीकार करते हुए इस पूरी

योजना का क्रियान्वयन "ऑन लाईन" तरीके से किया जाएगा जिसमें कृषकों को आवशयक निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन करते वक्त साथ लाने होंगे :-

- आधार कार्ड
- आवेदक की बी-1 (खतौनी) की प्रति
- योजना अंतर्गत लाभ प्राप्ति के लिए केवल ऐसे कृषकों को पात्र माना जायेगा जो 3 हार्स पावर या उससे अधिक क्षमता के स्थायी पम्प कनेक्शन लेना चाहते हैं। इन दस्तावेजों के अलावा आवेदक से किसी अन्य दस्तावेज की मॉग की जाती है तो उसको हमारे कॉल सेन्टर 1912 पर तत्काल सूचना देनी होगी।

3- आवेदन की प्रक्रिया

इस पूरी योजना के क्रियान्वयन की खास बात यह है कि कोई भी आवेदक निम्न में से किसी भी एक तरीके से अपना आवेदन भर सकता है :-

- यदि आवेदक के पास आधार कार्ड है एवं उस आधार कार्ड में उसका मोबाइल नं. दर्ज है तो वह व्यक्ति अपने घर से आवेदन भर सकता है।
- किसी भी कॉमन सर्विस सेन्टर अथवा एम.पी. ऑनलाईन के निकटस्थ कियोस्क सेन्टर पर जाकर अपना आवेदन भर सकता है। (एम.पी. ऑनलाईन अथवा कॉमन सर्विस सेन्टर की जानकारी के लिए यहॉ क्लिक करें।)
- कंपनी के किसी भी वितरण केन्द्र पर आवेदन कर सकता है।

इस पूरी योजना का क्रियान्वयन इस तरह से किया जा रहा है कि उक्त कार्य कंपनी क्षेत्र के किसी भी स्थल से किया जा सके। आवेदक को अपने क्षेत्र के वितरण केन्द्र या वृत्त कार्यालय में ही आवेदन करने की बाध्यता नहीं है। यदि आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो आपका आवेदन वृत्त कार्यालय पर ही लिया जाएगा और इसके लिए आपको अन्य दस्तावेज भी साथ में लाने होंगे।

इस योजना में शासन की सहयोग राशि के अलावा आवशयक जानकारी निम्नानुसार तालिका में दी गई है :-

तालिका-1

वर्ष(विद्यमान दर)	0-2 हैक्टेयर भूमि		2 हैक्टेयर से अधिक भूमि
	अनुसूचित जाति/जनजति	अन्य	
2015-16	6,500	6,500	10,400
2016-17	5,000	7,000	11,000
2017-18	5,500	7,500	12,000
2018-19	6,000	8,000	13,000

इस राशि के अलावा आवेदकों को विद्युत कनेक्शन हेतु राशि जमा करना होगी जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

तालिका-2

कृषि पंप की क्षमता (एच.पी.)	आवेदन पत्र का शुल्क (रूपये में)	पंजीयन राशि (रूपये में)	सुरक्षा निधि रूपये 100 प्रति एच.पी. 3 माह के लिए (फ्लेट रेट स्थाई कृषि पम्पों के लिए) (रूपये में)	अनुबंध/स्टाम्प प्रभार की राशि (रूपये में)	कुल राशि (रूपये में)
3	5	1500	900	500	2905
5	5	1500	1500	500	3505
7.5	5	1500	2250	500	4255
10	5	1500	3000	500	5005

यदि आवेदक द्वारा चाहे गए कार्य की राशि उक्त वर्णित राशि से कम है तो आवेदक द्वारा केवल एस्टीमेट की राशि ही ली जावेगी न कि तालिका-1 में दर्शाई गई राशि। लेकिन तालिका-2 में दर्शाई गई राशि फिर भी अतिरिक्त रूप से देय होगी।

अतः संक्षिप्त आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- अपना आधार कार्ड तथा आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नं. के साथ www.sankalp.mpcz.in/NSC पर लागीन करें। फॉर्म पूर्ण करने के बाद आप अपना भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड के साथ ही नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। उक्त तरीके से किया गया भुगतान के द्वारा आपका पूर्ण प्रकरण उसी समय स्वीकृत हो जायेगा। यदि आप फार्म पूर्ण करने के बाद भुगतान चैक या डी.डी. के माध्यम से

करना चाहते हैं तो आपका आवेदन पूर्ण होने के बाद जारी होने वाली रसीद को साथ लेकर एच.डी.एफ.सी. की किसी भी निकटस्थ शाखा में जमा करना होगा। इस डी.डी. अथवा चैक के नगदीकरण के पश्चात् ही आपका आवेदन स्वीकृत किया जायेगा।

- यदि आप कॉमन सर्विस सेन्टर, एम.पी. ऑनलाईन या अन्य अधिकृत कियोस्क पर जा रहे हैं तो अपना आधार कार्ड अवश्य साथ ले जाएं। यहॉ आप अपना संपूर्ण आवेदन शुल्क नगद में भी जमा कर सकते हैं। नगद में जमा करने के पश्चात् आपका आवेदन उसी समय स्वीकृत हो जायेगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए अपने क्षेत्र के वृत्त कार्यालय जाकर पूर्ण फार्म एवं राशि जमा करनी होगी। किसी भी दशा में राशि जमा करने पर आवेदन की एवं राशि की पावती जरूर प्राप्त करें।
- अपने आवेदन की स्थिति प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के कॉल सेन्टर 1912 पर सम्पर्क करें एवं सम्पर्क के समय अपना आवेदन क्रमांक अपने साथ रखें। कृपया इस संबंध में अपने अनुभवों को कंपनी की website-www.mpcz.co.in सूचित करें या कॉल सेन्टर पर बतायें।